न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 24 / 2022 (Bank Case)

GCMS NO – 2022/

उम्मेद हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः– 809–815, 8 वॉ तल, टॉवर ए, अमर डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर–61, गोल्फ कोर्स विस्तार रोड़, गुडगॉव–122102 (हरियाणा) जर्ये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेश कुमार डांगी।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. प्रभावति पत्नी श्री शारदा प्रसाद – (ऋणी / बंधककर्ता)
   पता– गली नम्बर 3, रंगपुर रोड, जे.पी. कॉलोनी, कोटा जं., कोटा (राज.)324002
2. विमल मिश्रा पुत्र श्री शारदा प्रसाद मिश्रा –(सहऋणी)
   पता– गली नम्बर 3, रंगपुर रोड, जे.पी. कॉलोनी, कोटा जं., कोटा (राज.)324002
3. शारदा प्रसाद पुत्र श्री वेणी मघो
   पताः–म.नं.– 656, चौहान प्रसुति, जे.पी. कॉलोनी कोटा जं., कोटा (राज.)324002
4. नीलम मिश्रा पत्नी श्री विमल मिश्रा
   पता– गली नम्बर 3, रंगपुर रोड, जे.पी. कॉलोनी, कोटा जं., कोटा (राज.)324002
5. मोहन लाल पुत्र श्री गंगाराम सेन –(गारन्टर)
   पताः दरगाह के पास, अनन्तपुरा, कोटा (राज.)324005

– अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थितः–

श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

25-4-2022

दिनांकः 28-4-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उम्मेद हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः– 809–815, 8 वॉ तल, टॉवर ए, अमर डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर–61, गोल्फ कोर्स विस्तार रोड़, गुडगॉव में स्थित हैं, से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने दिनांक 31.12.2019 को ऋण रूपये 7,30,496 / – (अक्षरेः रूपये सात लाख तीस हजार चार सो छियानवें मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी श्री रामकिशन सुमन की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर–63, खसरा नम्बर–640 / 213 / 129 का हिस्सा, ग्राम– भदाना, तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट है। जिसकी चर्तु सीमाए– प्लॉट नं. 64, पश्चिम में– रोड 15 फीट, उत्तर में– रोड 15 फीट, दक्षिण में– रोड 10 फीट है, जो जरिये मुख्तार नामा द्वारा दिनांक 13.02.19 से श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री शारदा प्रसाद मिश्र के नाम है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को दिनांक 30.06.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे रूपये 7,99,951 / – (अक्षरेः रूपये सात लाख निन्यानवें हजार नो सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 08.07.2021 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.07.2021 को रजिस्टर्ड

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "प्रातःकाल" व अंग्रेजी अखबार "हिन्दुस्तान टाईम" में दिनांक 16.10.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 13.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "प्रातःकाल" व अंग्रेजी अखबार "हिन्दुस्तान टाईम" में दिनांक 16.10.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 13.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "प्रातःकाल" व अंग्रेजी अखबार "हिन्दुस्तान टाईम" में दिनांक 16.10.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधक **अचल सम्पत्ति श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी श्री रामकिशन सुमन की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर–63, खसरा नम्बर–640/213/129 का हिस्सा, ग्राम– भदाना, तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट है। जिसकी चर्तु सीमाए– प्लॉट नं. 64, पश्चिम में– रोड 15 फीट, उत्तर में– रोड 15 फीट, दक्षिण में– रोड 10 फीट है, जो जरिये मुख्तार नामा द्वारा दिनांक 13.02.19 से श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री शारदा प्रसाद मिश्र के नाम है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25-.4-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)